भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

कमांक एफ. 1–14/2017/सात/शा. 6 — मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रबोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इसे आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से उज्जैन जिले की तहसील महिदपुर की सीमाएं, उसमें से पटवारी हल्का कमांक 23 से 50, 52 से 68, 91 से 102 एवं 105 से 107 को अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है और पटवारी हल्का कमांक 23 से 50, 52 से 68, 91 से 102 एवं 105 से 68, 91 से 102 एवं 105 से 107 से 102 एवं 105 से 107 समाविष्ट करते हुए, नवीन तहसील झार्डा का सृजन करती है, जिसमें 60 पटवारी हल्के और 113 ग्राम समाविष्ट होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय झार्डा में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, हिर रंजन राव, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्र एफ-1-14-2017-सात-शा.-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ-1-14-2017-सात-शा.-6, दिनांक 28 सितम्बर 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **हिर रंजन राव,** प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 28th September 2018

No. F 1-14/2017/VII/6--- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alters the limits of Tehsil Mahidpur of District Ujjain from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding therefrom Patwari Halka No. 23 to 50, 52 to 68, 91 to 102 and 105 to 107 and creates a new Tehsil Jharda by comprising of Patwari Halka No. 23 to 50, 52 to 68, 91 to 102 and 105 to 107 which shall be comprised of 60 Patwari Halkas and 113 villages. The headquarter of the said Tehsil shall be at Jharda.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, HARI RANJAN RAO, Principal Secy.